उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 60वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 18.09.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–अध्यक्ष
2.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–सदस्य / सचिव
3.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)	–सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	–सदस्य
5.	श्री अभय कुमार, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)	–सदस्य
6.	श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)	–सदस्य
7.	श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)	–सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
6. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
7. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
8. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
9. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
10. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी,यूपीडा।
13. कर्नल के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
14. श्री ए0के0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री बी0बी0 सिंह, परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
16. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 60वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न 59वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्त पोषण : यूको बैंक के ऋण स्वीकृति पत्र पर प्रस्ताव।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य के लिए पूर्व में 11 अप्रैल 2018 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में रु 12000.00 करोड़ की ऋण राशि बैंको से प्राप्त करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया था एवं तदनुसार अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करते हुए संकल्प पारित किया गया था। तत्कम में रु 7800.00 करोड़ राशि के स्वीकृति पत्र पंजाब नेशनल बैंक (रु 2300.00 करोड़), इलाहाबाद बैंक (रु 2000.00 करोड़), विजया बैंक (रु 1000.00 करोड़), इंडियन बैंक (रु 1000.00 करोड़), बैंक ऑफ बड़ौदा (रु 1000.00 करोड़) तथा पंजाब एंड सिंध बैंक (रु 1000.00 करोड़) से प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात 11 फरवरी 2019 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में रु 1000.00 करोड़ की ऋण राशि कार्पोरेशन बैंक से प्राप्त करने हेतु, 14 अक्तूबर 2019 को सम्पन्न बैठक में रु 500.00 करोड़ की ऋण राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्राप्त करने हेतु व 23 जून 2020 को सम्पन्न बैठक में रु 500.00 करोड़ की ऋण राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व रु 1000.00 करोड़ की ऋण राशि बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया था जिससे कुल स्वीकृत बैंक ऋण-राशि रु. 10800.00 करोड़ हो गई थी। इन स्वीकृति पत्रों के आधार पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके अभी तक रु 4308.68 करोड़ की राशि का आहरण "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु कर लिया गया है। इसी क्रम में यूको बैंक ने अपने 21 अगस्त 2020 के स्वीकृति पत्र संदर्भ सं. BR/HZG/2020-21/CR/A21a के माध्यम से रु 500.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति सूचित की है। यूको बैंक की ऋण-संबंधी मुख्य शर्तें वही हैं जो कि कंसोर्शियम के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसे शामिल करके स्वीकृत ऋण की कुल धनराशि रु 11300.00 करोड़ हो गई है। निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि यूको बैंक के रु 500.00 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने पर विचार करने का कष्ट करें। निदेशक मण्डल द्वारा यूको बैंक के ऋण-स्वीकृति पत्र का अवलोकन करके सम्यक विचारोपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

संकल्प / RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Board held on 18 September 2020, approved and passed the following Resolutions:-

"That the offer to UPEIDA by UCO Bank for availing a loan of Rs 500.00 crore, as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 12000.00 crore from Punjab National Bank led Consortium of Banks for Purvanchal Expressway Project, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 21 August 2020 (copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, has been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Purvanchal Expressway Project be and is hereby accepted."

"That the borrowing power of UPEIDA be enhanced by Rs 500.00 crore to enable UPEIDA to avail the loan from UCO Bank for Rs 500.00 crore as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 12000.00 crore from Punjab National Bank led Consortium of Banks for Purvanchal Expressway Project and that the aforesaid borrowing from aforementioned Banks is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

"That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and be acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Punjab National Bank and furnish to the Bank / Consortium such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Punjab National Bank so as to include the Bank as a part of the Consortium led by Punjab National Bank."

"It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–04:– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे–सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्था।

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार यूपीडा द्वारा "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" का निर्माण किया जा रहा है। शासनादेश सं. 237/77-3-19-10 बजट/2018 दिनांक 31 जनवरी 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा इस परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु यूपीडा द्वारा बैंकों से रु. 2275 करोड़ राशि तक का ऋण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। उक्त शासनादेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 5555.16 करोड़ आंकलित की गई है। इसमें से सिविल कार्यों हेतु अनुमानित लागत रूपये 3253.46 करोड़ (जीएसटी एवं 02 प्रतिशत दर से कंटिजेन्सी प्राविधान सहित) है, जिसमें से 70 प्रतिशत अर्थात लगभग रूपये 2275.00 करोड़ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आगामी तीन वर्षों में क्रमशः 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत ऋण लिया जाना प्रस्तावित है तथा शेष धनराशि आगामी तीन वर्षों में समय समय पर शासन से बजट के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में यूपीडा ने रु 2275.00 करोड़ की राशि का ऋण जुटाने के दृष्टिगत सभी पब्लिक सैक्टर बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया जिसके परिणामस्वरूप 07 बैंकों से विषयान्तर्गत रु 2250.00 करोड़ के प्रारम्भिक ऋण-निवेश की संभाव्यता प्राप्त हुई थी। अद्यतन पंजाब नेशनल बैंक से रु 750.00 करोड़ के ऋण हेतु स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है व शेष बैंकों में प्रक्रिया उनके बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी स्तर पर गतिमान है। यूपीडा द्वारा इसका सतत फॉलो-अप किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के ऋण-स्वीकृति पत्र दिनांक 03 जून 2020 व ऋण-स्वीकृति संशोधन पत्र सं. दिनांक 27 अगस्त 2020 की प्रति निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित की गई एवं सम्यक विचारोपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

संकल्प / RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 4 placed before it in the meeting held on 18 September 2020, approved and passed the following Resolutions:-

"That the Government Orders as contained in the GO No. 238/ 77-3-19-01 (M) dated 31 January 2019, be and are taken on record and due approval be and is accorded for the implementation of the Project as detailed in this G. O. as also the action taken thereupon by UPEIDA from time to time."

"That the Loan Sanction Letter dated 03 June 2020 and Loan Sanction Amendment Letter dated 27 August 2020 received from Punjab National Bank be and are taken on record for further necessary action by UPEIDA.

"That the Borrowing Power of UPEIDA be enhanced by Rs 2275.00 crore for enabling the loan amount of Rs 2275.00 crore from Punjab National Bank led consortium of Banks for Civil Construction Work of Gorakhpur Link Expressway Project as specified in the aforementioned order of Govt of UP and that the aforesaid borrowing from Punjab National Bank is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised, on behalf of UPEIDA, to approach Punjab National Bank for loan for Rs 750.00 crore on the terms and conditions as specified by Punjab National Bank in in its aforementioned loan sanction letter read with the loan sanction amendment letter and do all actions on behalf of UPEIDA as may be needed in regard to obtaining

the aforementioned loan not exceeding Rs 750.00 crore from Punjab National Bank.

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement, Letter / Deed of Undertakings, ESCROW Agreement etc. to be given by UPEIDA and any other document as required by Punjab National Bank (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between Punjab National Bank and UPEIDA) and the banks, as the case may be, in regard to the aforementioned loan.

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to open and operate an Escrow Account as per the sanction as also the terms of ESCROW Agreement separately for the aforementioned loan.

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, escrow agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan.

"That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to approach the Government of Uttar Pradesh to seek State Government Guarantee and Letters of Comfort for providing the financial resources to meet the shortfall in financial resources for the Project other than those from Punjab National Bank Consortium for completion of the Project as also for providing financial resources to meet the shortfall in Toll Revenue of UPEIDA for debt servicing at any point of time during the currency of Punjab National Bank Consortium Loan.

"It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforementioned Loans and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–05:–	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिये अथॉरिटी इंजीनियर का चयन।
कार्यवाही / निर्णय	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिये भी अथॉरिटी इंजीनियर की सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिये अथॉरिटी इंजीनियर की सेवायें M/S EGIS International S.A. से दिनांक 31.07.2020 तक ली गई, परियोजना के लिये नियमित अथॉरिटी इंजीनियर M/s T.P.F. Gentinsa Euroestudios, S.L. का चयन कर लिया गया है एवं इनका अनुबन्ध दिनांक 31.07.2020 को गठित हो गया है तथा M/s T.P.F. Gentinsa Euroestudios, S.L. को दिनांक 01.08.2020, Effective Date प्रदान कर दी गई है। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–1 पर समयवृद्धि प्रदान किया जाना।**

कार्यवाही / निर्णय

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज सं0–1 के निर्माणकर्ता मै0 एप्को इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 ने अपने पत्र एप्को / यूपीडा / 2020 / 110 दिनांक 29 अगस्त, 2020 द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.05.2020 एवं दिनांक 03.06.2020 में निहित निर्देशों के क्रम में एनएचएआई द्वारा विकासकर्ताओं को दी गयी राहत के अनुरूप यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निष्पादित अनुबन्ध के शिड्यूल–जे (प्रोजेक्ट कम्पलीशन शिड्यूल) में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.06.2020 द्वारा विकासकर्ताओं को दी गयी राहत के अनुरूप यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–1 के विकासकर्ता को प्रस्तावित राहत के विवरण से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज–2 के अन्तर्गत जनपद–अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 04 जनपदों यथा गोरखपुर, सन्त कबीर नगर, अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ से होकर जा रहा है।

उक्त परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। बोर्ड की 58वीं बैठक दिनांक 29.07.2020 के पश्चात् यूपीडा द्वारा अनुमोदित भूमि क्रय करने सम्बन्धी संशोधित भू–अर्जन प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों / कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री राज पाल सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0–110700 / यूपीडा / 1409 / 19 / अधि0 दिनांक 30.07.2020
2.	श्री राम खेलावन वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2021	06 माह	25.01.2021	सं0–10761 / यूपीडा / 1412 / 19 / अधि0 दिनांक 04.08.2020

3.	श्री शम्स आजाद	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	27.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0–10768 / यूपीडा / 1395 / 19 / अधि0 दिनांक 04.08.2020
4.	श्री रवि भूषण शर्मा	वरिष्ठ परामर्शी (डिफेन्स कॉरीडोर)	04.08.2020	06 माह	04.02.2021	सं0–10758 / यूपीडा / 1521 / 19 / अधि0 दिनांक 04.08.2020
5.	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0–110757 / यूपीडा / 1637 / 20 / अधि0 दिनांक 04.08.2020
6.	श्री वाई0के0शर्मा	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2020	06 माह	31.01.2021	सं0–110759 / यूपीडा / 1639 / 20 / अधि0 दिनांक 04.08.2020
7.	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	16.08.2020	06 माह	16.02.2021	सं0–11009 / यूपीडा / 528 / 15 / अधि0 दिनांक 14.08.2020
8.	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.08.2020	06 माह	13.02.2021	सं0–11010 / यूपीडा / 1221 / 19 / अधि0 दिनांक 14.08.2020
9.	श्री बी0बी0सिंह	परामर्शी (डिफेन्स कॉरीडोर)	11.08.2020	06 माह	11.02.2021	सं0–11085 / यूपीडा / 1269 / 19 / अधि0 दिनांक 18.08.2020
10.	श्री राम कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11084 / यूपीडा / 1652 / 20 / अधि0 दिनांक 18.08.2020
11.	श्री ब्रम्ह्म नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2020	06 माह	25.01.2021	सं0–11087 / यूपीडा / 1408 / 20 / अधि0 दिनांक 18.08.2020
12.	श्री राम कृष्ण गौड	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11086 / यूपीडा / 1655 / 20 / अधि0 दिनांक 18.08.2020
13.	श्री नामवर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.08.2020	06 माह	12.02.2021	सं0–11204 / यूपीडा / 1229 / 19 / अधि0 दिनांक 24.08.2020
14.	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.08.2020	06 माह	12.02.2021	सं0–11207 / यूपीडा / 1218 / 19 / अधि0 दिनांक 24.08.2020
15.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	लेखाकार कम कैशियर	11.09.2020	06 माह	11.03.2021	सं0–11209 / यूपीडा / 1682 / 20 / अधि0 दिनांक 24.08.2020
16.	श्री शंकर दयाल राम	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11205 / यूपीडा / 1656 / 20 / अधि0 दिनांक 24.08.2020
17.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11234 / यूपीडा / 1660 / 20 / अधि0 दिनांक 25.08.2020
18.	डा0 शिव सिंह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11398 / यूपीडा / 1323 / 19 / अधि0 दिनांक 02.09.2020
19.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11404 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दिनांक 02.09.2020
20.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11403 / यूपीडा / 1080 / 18 / अधि0 दिनांक 02.09.2020

21.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11400 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दिनांक 02.09.2020
22.	श्री राम प्रकाश भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11401 / यूपीडा / 1658 / 20 / अधि0 दिनांक 02.09.2020
23.	श्री मो0 जुबैर अन्सारी	प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11399 / यूपीडा / 1661 / 20 / अधि0 दिनांक 02.09.2020
24.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	30.09.2020	06 माह	30.03.2021	सं0–11501 / यूपीडा / 519 / 15 / अधि0 दिनांक 07.09.2020
25.	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2020	06 माह	02.03.2021	सं0–11505 / यूपीडा / 1665 / 20 / अधि0 दिनांक 07.09.2020
26.	श्री बृजभूषण पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान)	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11503 / यूपीडा / 1471 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2020
27.	श्री राम शंकर सोनी	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2020	06 माह	24.03.2021	सं0 11506 / यूपीडा / 1480 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2020
29.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2020	06 माह	24.03.2021	सं0–11504 / यूपीडा / 1482 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2020
30.	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ सहायक (नजारत)	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11535 / यूपीडा / 1472 / 19 / अधि0 दिनांक 08.09.2020
31.	श्री अमर नाथ	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरीडोर)	18.09.2020	06 माह	18.03.2021	सं0–11534 / यूपीडा / 1470 / 19 / अधि0 दिनांक 08.09.2020

2. यूपीडा में संचालित विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियन्तओं / सहायक अभियन्ताओं का अनुमोदन 60 वीं बोर्ड की बैठक 18.09.2020 में प्राप्त किया जाना है:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर अभियन्ताओं की मुख्यालय एवं फील्ड स्तर की गयी तैनाती, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 18. 09.2020 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	प्रतिनियुक्ति से / विभाग	कार्यभार ग्रहण की तिथि	प्रतिनियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री सरोज कुमार यादव	सहायक अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	28.08.2020	1722 / ई–2 / प्रतिनियुक्ति यूपीडा / दिनांक 28.08.2020
2.	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहायक अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	01.09.2020	1775 / ई–2 / प्रतिनियुक्ति यूपीडा / दिनांक 01.09.2020
3.	श्री रवीन्द्र सिंह आर्य	सहायक अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	05.08.2020	469 / 23–4–20–टी0(7) / 14टी0सी0 / प्रतिनियुक्ति यूपीडा / दिनांक 29.04.2020
4.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	अधिशासी अभियन्ता	सिंचाई एवं जल संसाधन0वि0	23.07.2020	1881 / ई–1 / प्रतिनियुक्ति यूपीडा / दिनांक 23.07.2020

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–09:– मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 10.09.2020 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण ।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–10:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्थानीय माँग पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पैकेज 01,02,03 में कुछ कार्य चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये गये है। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये कराये गये कार्यों पर संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–11:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

कार्यवाही / निर्णय

मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि परियोजनाओं में कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्य (माईल स्टोन) समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है एवं वर्तमान भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत है। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये कार्य प्रगति पर संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–12:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे (पैकेज सं. 1 से 6) के अनुबन्धों में शेड्यूल–एच (कान्ट्रैक्ट प्राइस वेटिज) का पुनरीक्षण।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर मा0 मंत्रीपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने एवं छः माह की अवधि हेतु अनुपूरक अनुबंध गठित करने हेतु प्रेषित किये जाने हेतु, प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:–

नियम–301 के अन्तर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेजः 73+310 पर चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत इन्टरचेंज निर्माण।

कार्यवाही / निर्णय

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई **91.352 किमी0** है। एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु परियोजना को 02 पैकेजो में विभक्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ताओं का चयन कर लिया गया है। श्री रितेश पाण्डेय, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा नियम– 301 के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न पर शासन के पत्रांक सं0 170 / 77–3–19–01नियम / 19 दि0 24.01.2019 द्वारा वांछित आख्या के अन्तर्गत विकास खण्ड क्षेत्र–भयांव के अन्तर्गत ग्राम सभा, नूरपूर कलां (कट्का बाजार) के समीप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेजः 73+310 पर इन्ट्री प्वांइट दिये जाने का निर्णय अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। चैनेजः 73+310 पर इन्ट्री प्वांइट दिये जाने हेतु डायमण्ड इन्टरचेंज का निर्माण करना होगा। यह कार्य चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराना होगा। इस कार्य हेतु अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा चेंज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत किया जाना है। अतः चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत उक्त कार्य कराने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **आई0जी0आर0एस0 सं0 15188200001246 के अन्तर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेजः 36+850 पर चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत इन्टरचेंज निर्माण।**

कार्यवाही / निर्णय आई0जी0आर0एस0 सं0 15188200001246 के अन्तर्गत श्री भिखारी प्रजापति एवं अन्य के द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर विकास खण्ड–बेलघाट, ग्राम–बहादुरपुर के समीप चैनेजः 36+850 पर रैम्प / स्लिप रोड देने की मांग की गयी। श्री प्रजापति के द्वारा मांग के औचित्य के संबंध में पी0आई0यू0–1, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं अथॉरिटी इंजीनियर से आख्या मांगी गयी। पी0आई0यू0–1, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने अपने पत्रांक कैम्प / यूपीडा / पी0आई0यू0–1 / 17 दि0 03.03.2020 द्वारा एवं अथॉरिटी इंजीनियर ने अपने पत्रांक EGIS/TL/CEO/GLE/UPEIDA/002 dt. 14.05.2020 द्वारा चैनेजः 36+850 पर डायमण्ड इन्टरचेंज के निर्माण हेतु संस्तुति की है। यह कार्य चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराना होगा। इस कार्य हेतु अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा चेंज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत किय। जाना है। उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत उक्त कार्य कराने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।**

सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित / क्रियान्वित / पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति / आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग / व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् हैः–

(धनराशि करोड में)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर / वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	160.00	84.37	77.64	
	योग		160.00	84.37	77.64	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1400.00	0.00	0.00	सिविल कार्यो हेतु धनराशि रू0 700.00 करोड की मांग शासन से की जा चुकी है।
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	1300.00	1300.00	1300.00	
	योग		2700.00	1300.00	1300.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	589.52	150.78	124.49	
	योग		589.52	150.78	124.49	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	176.00	126.00	126.00	
		भूमि कय	224.00	224.00	224.00	
	योग		400.00	400.00	400.00	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	36.35	0.00	0.00	

			36.35	0.00	0.00	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	750.00	300.00	300.00	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	700.00	700.00	700.00	
	योग		1450.00	1000.00	1000.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	155.07	11.42	7.42	
	योग		155.07	11.42	7.42	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	0.00	0.00	
	योग		150.00	0.00	0.00	
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	2000.00	165.19	165.19	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना मे भूमि कय हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 165.19 करोड जा चुकी है।
	योग		2000.00	165.19	165.19	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	200.00	115.69	115.69	1 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना मे भूमि क्रय हेतु रू0 109.69 करोड पुर्नविनियोग के माध्यम से की जा चुकी है। 2 पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना मे भूमि कय हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 84.31 करोड की मांग शासन से किया गया है।
	योग		200.00	115.69	115.69	
K	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनो ओर जनपद गोरखपुर मे औघोगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु	अनुदान संख्या–7	200.00	0.00	0.00	
	योग		200.00	0.00	0.00	
	महायोग		8040.94	3227.45	3190.43	

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि कय की तात्कालिक आवश्यकता हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर रू0 109.69 करोड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से पुर्नविनियोग किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि कय की तात्कालिक आवश्यकता हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर रू0 43.19, जिलाधिकारी गोरखपुर को रू0 70. 00 करोड एवं जिलाधिकारी आजमगढ को रू0 52.00 करोड अर्थात कुल रू0 165.19 करोड गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से पुर्नविनियोग किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि कय की तात्कालिक आवश्यकता हेतु जिलाधिकारी आजमगढ को रू0 28.31 करोड, जिलाधिकारी गाजीपुर को रू0 60.00 करोड, जिलाधिकारी सुल्तानपुर को रू0 50.00 करोड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से पुर्नविनियोग किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल से प्राप्त आय / व्यय की स्थिति।**

आगरा–लखनऊ (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेसवे परियोजना पर टोल वसूली का कार्य मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 द्वारा किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष 2020–21	Amount	Amount
	(Rs in crore)	(Rs in crore)
टोल संग्रह धनराशि	87.14	

इलाहाबाद बैंक से लिये ऋण एवं ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु		
ऋण का भुगतान		23.14
ब्याज का भुगतान		41.32
योगः–	**87.14**	**64.43**

कार्यवाही / निर्णय — प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुति व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में निर्माण डिजाइन के फलस्वरूप निर्धारित राइट आफ वे से डेवियेशन के कारण अतिरिक्त भूमिक्रय सम्बन्धी 06 जनपदों के कुल 19 प्रस्तावों का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में निर्माण डिजाइन के फलस्वरूप निर्धारित राइट आफ वे से डेवियेशन के कारण अतिरिक्त भूमि क्रय सम्बन्धी 06 जनपदों के कुल 19 प्रस्तावों में अन्तर्निहित 13. 7178 हे0 भूमि के प्रस्तावों का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाना है। इन प्रस्तावों में अन्तर्निहित भूमि का मूल्य 15,74,15,640/– रू0 होता है। समस्त प्रस्ताव संलग्न विवरणानुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। कुल 19 प्रस्तावों में जनपद लखनऊ का कार्यपूर्व एवं जनपद बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर व गाजीपुर का कार्योत्तर अनुमोदन प्रस्तावित था। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मंडल के संज्ञान में लाना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकज 4 में कार्यस्थल की आवश्यकता व जनसाधारण की मांग पर अनुबन्धों में प्रविधानित कार्यों में घट/बढ़ किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्धों के क्लाज 13.2.1 के अन्तर्गत Change of Scope Notice निर्गत किये गये थे, जिनके आगणनों को ई0पी0सी0 कान्ट्रैक्टर से प्राप्त होने के उपरान्त अथॉरिटी इंजीनियर द्वारा परीक्षण किया गया। अथॉरिटी इंजीनियर के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कार्यों के चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये गये प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **उ0प्र0 के जनपद कानपुर में डिफेन्स कॉरिडोर के विकास हेतु जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय — डिफेन्स कॉरिडोर के कानपुर नोड के विकास हेतु 217 हेक्टर अधिग्रहित भूमि पर जल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु जल निगम द्वारा रूपया 10058.05 लाख का लागत आकलन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में साम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चयरण के कार्यों हेतु लागत का आधा भुगतान किया जायेगा एव शेष भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा। उपरोक्त से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:–</u> **<u>'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर स्थापित 02 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा एक्सप्रेसवे पर 05 एम्बुलेन्स व 10 पेट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु वर्तमान में चयनित एजेंसी मेसर्स ईगल इन्फ्रा इंण्डिया लि0 की कान्ट्रैक्ट अवधि में एक माह की वृद्धि के सम्बनध में।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>

वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल) द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थापित 02 मुख्य टोल प्लाजा एवं 15 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा एक्सप्रेसवे पर 05 एम्बुलेन्स व 10 पैट्रोलिंग वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) की तैनाती हेतु नवीन एजेन्सी की चयन प्रकिया अग्रिम चरणों में है एवं नई एजेन्सी के चयन लगभग 01 माह में पूर्ण हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियत्रंक एवं वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल) दिन प्रतिदिन समीक्षा कर नये टेण्डर की प्रकिया एक माह में पूर्ण करायेंगे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05:–</u> **<u>गंगा–एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्थाः प्राइवेट सेक्टर बैंकों से ऋण प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u>

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त विषयक एजेंडा नोट का अवलोकन किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि पूर्व में चार परियोजनाओं हेतु यूपीडा को बैंकों द्वारा पूर्ण राशि रु. 22805.00 करोड़ स्वीकृत हो जाने के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार इन बैंकों की यूपीडा के लिए एकल एक्सपोजर सीमा (Single Exposure Limit) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु इन्हीं बैंकों से पूर्ववर्ती प्रकार का ऋण प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त होगी। उदाहरण स्वरूप कुछ बड़ी बैंकों में से अभी तक इंडियन बैंक से रु. 5780.00 करोड़,बैंक ऑफ बड़ौदा से रु. 4000.00 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से रु. 3050.00करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से रु.2500.00 करोड़के ऋण प्राप्त हो चुके हैं; **<u>इन बैंकों से और अधिक ऋण प्राप्त होने की संभावना नहीं है</u>** अतः यूपीडा के लिए यह आवश्यक होगा किऔर नए स्रोत तलाशे जाएँ। विषयान्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरांतगंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट सैक्टर बैंकों से ऋण प्राप्त करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इस हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–06:–</u> <u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे – सिविल निर्माण हेतु ऋण व्यवस्थाः बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त "सूक्षम अवधि ऋण" (ब्रिज लोन) का भुगतान एवं ऋण–खाता बंद किया जाना।</u>

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उक्त विषयक एजेंडा नोट का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–07:– **'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज–02 के निर्माणकर्ता को परियोजना निर्माण हेतु 90.13 प्रतिशत आर0ओ0डब्लयू0 की भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज–02 के निर्माणकर्ता को परियोजना निर्माण हेतु 90.13 प्रतिशत आर0ओ0डब्लयू0 की भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में तथ्यों से अवगत होते हुये अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी को इस आशय का पत्र भेज दिया जाये कि जो भूमि क्रय कर ली गई है, उसका शीघ्र भुगतान कर दिया जाये एवं भूमि का कब्जा निर्माणकारी एजेंसी को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय के उपरोक्त निर्णय से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न हुई 60वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 18.09.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी